



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221765
CG-DL-E-16092020-221765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]
No. 365]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2020/भाद्र 25, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2020/BHADRA 25, 1942

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2020

फा. सं. पीएफआरडीए/17/आरईएस/25.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 45 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन सलाहकार समिति की बैठकें) विनियम, 2015 के विनियम 6 के उप-विनियम 4 के निबंधनों के अनुरूप प्राधिकरण, एतद्वारा, पूर्व में राजपत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के माध्यम से गठित पेंशन सलाहकार समिति को, इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से पुनर्गठित करता है। पुनर्गठित सलाहकार समिति होगी:—

1. मुख्य महाप्रबंधक, सरकारी कारोबार ईकाई, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली
2. प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
3. कार्यकारी निदेशक (रिटेल बैंकिंग), एक्सिस बैंक
4. लेखा के उप महानियंत्रक (तकनीकी परामर्श), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक सदस्य, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
7. उपाध्यक्ष और अभिरक्षा सेवाएँ प्रमुख, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

8. श्री दिनेश पन्त, नियुक्त बीमांकक भारतीय जीवन बीमा निगम
9. अध्यक्ष, एनपीएस न्यास
10. निदेशक, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे
11. डॉ. रेणुका साने, सहायक प्राध्यापक, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी (एनआईपीएफपी)
12. श्री कुलीन पटेल, वरिष्ठ बीमांकक एवं निदेशक- क्लाइंट अकाउंट मैनेजमेंट, टावर्स वाटसन, गुडगाँव
13. अध्यक्ष, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुरीज़ ऑफ इंडिया
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिक्स्ड इनकम मनी मार्किट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
15. उप सचिव (स्थापना II), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
16. निदेशक (लेखा), डाक विभाग, नई दिल्ली
17. श्री राजीव कपूर, कार्यकारी निदेशक-सीआईआई का प्रतिनिधित्व करने वाला एचआरएम मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह
18. मुख्य कार्यकारी –इंडियन बैंक्स एसोसिएशन
19. निदेशक, बजट, वित्त विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश सरकार
20. निदेशक (वित्त/बजट), रक्षा वित्त, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
21. श्री गौरव शर्मा, उप समादेशक, सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
22. श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, अनुभाग अधिकारी, वित्त स्थापना (एफई) निदेशालय, रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में

प्राधिकरण का अध्यक्ष, पेंशन सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और प्राधिकरण के सदस्य, समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./222/2020-21]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2020

F. No. PFRDA/17/RES/25.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 45 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act 23 of 2013), and in terms of the sub regulation 4 of the regulation 6 of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Advisory Committee Meetings) Regulations, 2015, the Authority hereby reconstitutes the Pension Advisory Committee constituted earlier *vide* Gazette Notification dated 24th December, 2018 with effect from the date of this notification. The reconstituted Pension Advisory Committee is as under:

1. Chief General Manager, Government Business Unit, State Bank of India, New Delhi
2. Managing Director & CEO, NSDL e-Governance Infrastructure Ltd
3. Executive Director (Retail Banking), Axis Bank
4. Deputy Controller General of Accounts (Technical Advice), Department of Expenditure, Ministry of Finance
5. Chief Executive Officer & Whole Time Director, UTI Retirement Solutions Ltd

6. Chief Executive Officer, HDFC Pension Management Company Ltd
7. Vice President and Head Custodial Services, Stock Holding Corporation of India Ltd.
8. Shri Dinesh Pant, Appointed Actuary Life Insurance Corporation of India
9. Chairman, NPS Trust
10. Director, National Institute of Bank Management, Pune
11. Dr.Renuka Sane, Associate Professor, National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP)
12. Shri Kulin Patel, Senior Actuary and Director – Client Account Management, Towers Watson, Gurgaon
13. President, Institute of Actuaries of India
14. Chief Executive Officer Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
15. Deputy Secretary (Establishment II), Department of Personnel & Training
16. Director (A/Cs), Department of Posts, New Delhi
17. Shri Rajiv Kapoor, Executive Director – Group HRM Minda Industries Ltd. representing CII
18. Chief Executive-Indian Banks' Association
19. Director, Budget, Department of Finance, Bhopal, Government of Madhya Pradesh
20. Director (Fin/Budget), Defence Finance as representative of Ministry of Defence
21. Shri Gourav Sharma, Dy Commandant Border Security Force as representative of Ministry of Home Affairs
22. Shri Ramesh Chandra Pandey, Section Officer, Finance Establishment (FE) Directorate as representative of Ministry of Railways

The Chairperson and the Members of the Authority shall be the ex-officio Chairperson and ex officio members of the Pension Advisory Committee.

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./222/2020-21]